

30/3/21 पत्रावली आज पेश है
साविका आदेश की याचना की
आफ पत्रावली दिनांक 23/4/21 को पेश है
A

565
01/04/21

जिला कलेक्टर, पाली

23/4/21 पत्रावली आज पेश है
अपीलाधी को लोक सचता अधिकाारी
द्वारा उचित जबाब के संदर्भ में आपत्त पर शरयों
हेतु लक्ष्य किया गया था के व्जार जरि Regd Act.
नोति उचित करके के व्बाबतु नी अकुं हें ऐसे
में करील एवं लोक सचता अधिकाारी को उचित
प्रकार पर एवं उनके द्वारा उचित जबाब का
अवकाशकत किया गया।

अपीलाधी द्वारा जिले के सरकारी
कार्यालयों में तथा विभागों में सिपाही जति, शेरख
सैफद, कुगन, पसर की 18 वर्ष की कम आयु से 40 वर्ष
तथा 41-से 60 वर्ष तक की अविवाहित (विधवा)
परिवर्धता (लगात 5) पुनर्विवाहित महिला कर्मचारियों
अधिकाारी के नाम, पदनाम, कार्यलय/विभाग का नाम तथा
सेवामें समाप्त का शेष पता वगैरे तथा आयु की जावकाही
चाही गई थी। जिस जबाब लोक सचता अधिकाारी द्वारा
जति पत्रांक 8856 डि 23-10-2020 के उचित का
लिख दिया गया था कि आप द्वारा चाही गई सचता कर्मचारियों
दिकों में उपलब्ध नहीं है तथा किसी भी सचता को सहायता
का रिजो का प्रावधान नहीं है। कोरोना जरि को सहायता
का रिजो आदि का जबाब भी उचित कर दिया गया है।
व्यक्त फोन आदि का जबाब भी उचित कर दिया गया है।
एसी स्थिति में अपीलाधी ने यह अपील सनी लोक सचता
अधिकाारी का समय या सचता उपलब्ध कराते एवं निर्देशित
करके हेतु लिया है। जिसके सम्बन्ध में वस न्यायालय
द्वारा किसी भी प्रकार की कार्यवाही को रोकेत नहीं है।
एसी स्थिति में यह अपील-पत्र दनी स्था या
निरस्त किया जाता है।

पत्रावली वस न्यायालय से शुभा
फल की आफत नम्बर से कम है।

जिला कलेक्टर, पाली